

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा

पत्रांक / 12350 - 55 / 2018-19

दिनांक 15-01-19

प्रबन्धक

सेंट जॉन्स चर्च स्कूल नगर क्षेत्र एटा !

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय/महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के क्रम में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश दिनांक 8-5-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सेंट जॉन्स चर्च स्कूल नगर क्षेत्र एटा (अंग्रेजी माध्यम) को दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 8 तक संचालन हेतु अगन्तिग मान्यता प्रदान करने की संरचना देता हूँ।

उपरोक्त गंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधधीन है-

- मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सवधन करने के लिये कोई बाधता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार अधिनियम 2010 उपाबन्ध 1 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 उपाबन्ध 2 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत एवं पास पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालयों को धारा 12की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा, ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-  
(I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।  
(II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अधधीन नहीं किया जायेगा।  
(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।  
(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।  
(V) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।  
(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ कर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन होगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार है-  
क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार कक्षा, बालक और बालिकाओं के लिये प्रथक-प्रथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिये रसोई बाधाररहित पहुँच, अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके वाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाये।
- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तात्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यारा द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

**कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा**  
दिनांक 15-01-19  
पत्रांक / 1350 - 55 / 2018-19

**प्रत्येक**

**!**

सेट जोस चर्च स्कूल नगर क्षेत्र एटा ।

विषय- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रवचन के लिये निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र

**महोदय/महोदय,**

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन और एटा कार्यालय में विद्यालय के साथ पर्याप्तार्थी आधार/निवेदन के अधीन के रूप में मासिक मान्यता अधिनियम 2009 के धारा 18 के प्रवचन के लिये निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये निवेदन किया गया है।

1. मान्यता की नगरी विद्यालय नहीं है और उद्योग किसी भी रूप में क्या 8 के पर्याप्त मान्यता/सबक करने के लिये कोई बचता विहित नहीं है।

2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 उपबन्ध 1 और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उपबन्ध 2 के उपबन्धों का पालन करना।

3. विद्यालय क्या 1 में (ग) व्यावहारिक नगरी क्या भी उस क्या में बालकों की संख्या के प्रतिबन्ध पत्र पास परसेरा के अनुसार बर्न और सुविधा विहित सफ़्त के बालकों को प्रवेश प्रदान करना और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के लिये प्रवेश प्रदान करना।

4. क्या 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय पर पर्यटक बैठक खाता रखना।

5. सार्वजनिक/विद्यालय किसी भी प्रकार के अर्थोपार्जन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का बहुत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

- (I) प्रवेश देने वाले किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी क्या में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (II) किसी भी बालक को शारीरिक रूप या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
- (III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकृत किये गये अनुसार एक भ्रमण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निश्चयता उत्तर/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक विनयेक पास इस अधिनियम के प्राण्य कर न्यूनतम अर्हताये नहीं है पंचन पत्र की अधि के शीट पर प्रेषी न्यूनतम अर्हताये अधिनियम करे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षण के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन होगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सविधमों के अनुसार रखेगा। अधिनियम के समक रिपोर्ट की नये प्रसुधियाय निम्नानुसार है-

क्रीडा-स्वत का क्षेत्रफल, क्याओं की संख्या, प्राध्यापक सह कार्यालय सह माडार क्या, बालक और बालिकाओं के लिये प्रथक-प्रथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिये स्पोर्ट्स आधारित भूख, अध्यापन पत्र सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी-मान्यता प्राप्त क्याये नहीं बनाई जायेगी।

10. विद्यालय कर्मचारी या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्वत का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिये किया जाये।

11. विद्यालय को सोसाइटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी, क्लब या क्लब प्रकृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक क्यासा द्वारा चलाया जा सके है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी शाल्य व्यक्तियों के नाम के लिये नहीं चलाया जा सके है।